International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 24-07-2021, Accepted: 07-08-2021, Published: 24-08-2021
Volume 7; Issue 4; 2021; Page No. 112-114

भारत में दिव्यांगों के कानूनी अधिकार का संक्षिप्त विश्लेषण

धरमवीर यादव
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविधालय, नई दिल्ली, भारत

सारांश

भारत एक लोकतांत्रिक देश है एवं इसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए गए हैं. समाज के वंचित वर्गों के लिए अलग से सकारात्मक क्रिया एवं कानूनी अधिकार बनाए गए हैं .भारत में दिव्यांगजनों के लिए भी कानूनों एवं अधिकारों का प्रावधान किया गया हैए संक्षेप में दो प्रकार के अधिकार होते हैं पहला संविधानिक जिनका जिक्र संविधान में है एवं समय की मांग के अनुसार संसद एवं संविधान लागू करता है दूसरा वैधानिक अधिकार अर्थात यह अधिकार निर्मित मौजूदा अधिकारों का संशोधित रूप होता है. भारत में दिव्यांगजनों के लिए बने कानून एवं नीतियों की बात करें तो यह भारत में चल रहे बहुत बड़े आंदोलनों के जरिए प्राप्त हुए हैं. भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 लागू किया गया. विकलांगजन अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेद (253द्ध सह पठित संघ सूची की पद क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा उनके रोजगारए बाधा रहित परिवेश का सृजनए सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता हैं यह अधिनियम 1 दिसम्बर 1992 को पेइचिंग में बुलाए गए अधिवेशन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग सक्रियों की पूर्णभागीदारी व समानता की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त समान भागीदारी अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को 7 श्रेणियों में रखा गया तथा यह कानून बनने के बावजूद भी 20 वर्ष तक अमल में नहीं लाया गया जिसके बाद नए कानून को लाने की पहल की गई जिसके तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लाया गया जिसमें दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर 7 से 21 कर दिया गया है तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत तथा शिक्षा के आरक्षण को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया.

मूलशब्द: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, समानता, समान भागीदारी, अधिकार

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है एवं इसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए गए हैं. समाज के वंचित वर्गों के लिए अलग से सकारात्मक क्रिया एवं कानूनी अधिकार बनाए गए हैं .भारत में दिव्यांगजनों के लिए भी कानूनों एवं अधिकारों का प्रावधान किया गया है. संक्षेप में दो प्रकार के अधिकार होते हैं पहला संविधानिक जिनका जिक्र संविधान में है एवं समय की मांग के अनुसार संसद एवं संविधान लागू करता है दूसरा वैधानिक अधिकार अर्थात यह अधिकार निर्मित मौजूदा अधिकारों का संशोधित रूप होता है. भारत में दिव्यांगजनों के लिए बने कानून एवं नीतियों की बात करें तो यह भारत में चल रहे बहुत बड़े आंदोलनों के जरिए प्राप्त हुए हैं. भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 लागू किया गया. विकलांगजन अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेद (253) सह पठित संघ सूची की पद क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा उनके रोजगार, बाधा रहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता हैं यह अधिनियम 1 दिसम्बर 1992 को पेइचिंग में बुलाए गए अधिवेशन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग सक्रियों की पूर्णभागीदारी व समानता की घोषणा करता है । इसके अतिरिक्त समान भागीदारी अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को 7 श्रेणियों में रखा गया तथा यह कानून बनने के बावजूद भी 20 वर्ष तक अमल में नहीं लाया गया जिसके बाद नए कानून को लाने की पहल की गई जिसके तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लाया गया जिसमें दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर 7 से 21 कर दिया गया है तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत तथा शिक्षा के आरक्षण को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया. वर्ष 2016 के अधिनियम के द्वारा प्रावधानों को सरल बनाने के बजाए अधिक जटिल बना दिया गया और इसे बहुत महत्त्वपूर्ण बदलाव के रूप में भी नहीं देखा गया क्योंकि सामान्य स्थिति को निरंतर वैसी ही रही है । वर्तमान में भी भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हमें उन अधिनियमों के संचालन के बावजूद भी नहीं मिलता है.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) का विश्लेषण

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है अविभेद, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना, मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता, दिव्यांग बालकों को बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार के लिए आदर अधिनियम के मुख्य उद्देश्य थे और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने 1

अक्टूबर 2007 को अधिनियम का समर्थन किया था . भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ जिसके अंतर्गत 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 20 जनवरी 2020 बीती 16 दिसम्बर 2016 को लोकसभा ने ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 1995 की जगह ली, जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। राज्यसभा इसे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी। इस अधिनियम के तहत विकलांगता को एक विकसित और अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के मौजूदा अधिनियम में बदलाव के आधार पर विकलांगता के प्रकार को 7 से 21 कर दिया गया है और केन्द्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ने की शक्ति होगी । इस अधिनियम के तहत 21 प्रकार की विकलांगता को इस प्रकार चिन्हित किया है-

1. अंधापन,
2. कम-दृष्टि,
3. सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन),
4. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति,
5. लोकोमोटर विकलांगता,
6. बौनापन,
7. बौद्धिक विकलांगता
8. मानसिक बीमारी
9. ऑटिज्म स्पेक्टम विकार
10. सेरेब्रल पल्सी
11. मस्कुलर डिस्टॉकी
12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ
13. विशिष्ट सीखने की अक्षमता
14. मल्टीपल स्केलेरोसिस
15. भाषण और भाषा विकलांगता
16. थैलेसीमिया
17. हीमोफिलिया
18. सिकल सेल रोग
19. बहरापन सहित कई विकलांगता
20. एसिड अटैक पीड़ित
21. पर्किंसंस रोग

पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिनियम विकलांगता को जोड़ा गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स को शामिल किया गया है। बौनापन, पेशी अपविकास को निर्दिष्ट विकलांगता के अलग वर्ग के रूप में इंगित किया गया है। विकलांगों की नई श्रेणियों में तीन रक्त विकार, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल थे। इसके अलावा, सरकार को किसी अन्य श्रेणी के निर्दिष्ट विकलांगता को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है। उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें।

उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना आदि जैसे अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। 6 और 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। सरकारी वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान को मजबूत करने के लिए एक निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया गया है। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। विधेयक में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षणकर्ता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके तहत-अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय होगा। विकलांगता पर व्यापक आधारित केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड को केन्द्र और रज्य स्तर पर शीर्ष नीति बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाना है।

विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को मजबूत किया गया है, जिन्हें अब 2 आयुक्तों और एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें विभिन्न विकलांगों में विशेषज्ञों में 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसी प्रकार, विकलांग राज्य आयुक्तों को कार्यालय को मजबूत किया गया है जिन्हें एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें विभिन्न विकलांगों में विशेषज्ञों में 5 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे। विकलांग व्यक्तियों की स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। उनके संविधान और ऐसी समितियों के कार्य नियमों में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय के साथ सदस्यता दी जाएगी। इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हें या क़ानूनी प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। नया अधिनियम हमारे कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप लाएगा, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है यह सम्मेलन के संदर्भ में भारत की ओर से दायित्वों को पूरा करेगा। इसके अलावा, नया कानून न केवल दिव्यांगजन के अधिकारों और प्रवेश को बढ़ाएगा बल्कि संतोषजनक तरीके से समाज में उनके सशक्तिकरण और सच्चे समावेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र भी प्रदान करेगा।

समाधान

यदि दिव्यांगजनों को समान दर्जे वाली स्थिति में लाना हे तो सरकारी योजनाओं नीति कानून व अधिकारों को वास्तविक अमली जामा पहनाना आवश्यक है। उनके लिए बने गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता फैलाते हुए सक्रिय रूप से सरकार व सरकारी अधिकारियों से उनके अधिकारों को लागू कराने के लिए हमेशा पर्यवेक्षक की तरह हमेशा कार्य करना होगा। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अर्थात् उन्हें साथ लेकर चलते हुए दिव्यांगजनों की कर्मशीलता, परिणाम व कारनामों को उजागर करना होगा। इसके अलावा समाज के अन्य वर्गों को भी दिव्यांगजनों के साथ भावपूर्ण व्यवहार करना होगा। जैसी हम उपेक्षा करते हैं। जिसके लिए सामाजिक समरूपता का आना बहुत आवश्यक है

जो कि अभी कोसो दूर है जिसके लिए शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति होना आवश्यक है जिसके निम्नलिखित कार्यों व विचारों का होना आवश्यक है।

1. रोटी बेटी का समान संबंध स्थापित करना।
2. विकलांगता को विमर्श के रूप में देखा जाए ताकि एक मनोरंजन के रूप में जिसके लिए हम व्यापक तौर पर कार्य कर सकते हैं।
3. चर्चा व परिचर्चाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों की विचारों समस्याओं को जन-जन तक पहुंचा सकते हैं जिसके लिए सेमिनार व संगोष्ठियों स्थापित की जानी चाहिए विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर।
4. विकलांगता को विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर इसके अलावा विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर विशेष प्राध्यापकों की नियुक्ति विद्यालयी तर्ज पर होनी.
5. जनसंचार की भूमिका में हमें पत्र पत्रिकाएं मीडिया, सिनेमा व साहित्य को दिव्यांगजनों की वास्तविक को बयां करने के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए अप्रभूत कारनामों को दिखाते हुए उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सिनेमा साहित्य का कार्य मात्र दिव्यांगजनों की स्थिति को सहानुभूति पूर्ण ना दिखाकर प्रानुभूतिपूर्ण स्थिति बयां करनी चाहिए। जिसके लिए अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के द्वारा किए गए भागीदारी को हर एक स्तर पर उजागर करना चाहिए। उदाहरण के लिए दिव्यांजनों द्वारा खेले जाने वाले खेल जैसे क्रिकेट, फुटबाल, एथलिट आदि खेलों को दूरदर्शन तथा अन्य नियुक्ताओं द्वारा दिखाना चाहिए जिससे समाज को उनका सक्रिय रूप देखने को मिले जिससे समाज उनके प्रति जागरूक हो सके।
6. सरकार द्वारा दिए जा रहे दिव्यांगजनों को शिक्षा व रोजगार की त्रुटियों में सुधार हो उन्हें वास्तविक धरातल पर लाया जाए। आरक्षण को 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए बढ़ती श्रेणियों के आधार पर।
7. दिव्यांगजनों को मत का अधिकार देना ही समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। दिव्यांगजनों को भी सक्रिय राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 10 प्रतिशत देकर लोकसभा तथा राज्यसभा में उन्हें नेतृत्व क्षमता का मौका देना चाहिए। राज्य सभा में उनके लिए सीटे सुनिश्चित कर देना चाहिए। हर राज्य से क्योंकि संसद में दिव्यांगजनों की पहुंच कहीं उनकी पहुंच होगी निज प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अपने समूह की अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अपने समूह की समस्या संसद तक पहुंचा कर वास्तविक निदान करा पाते हैं। ठीक उसी तरह दिव्यांगजनों के भी प्रतिनिधियों को संसद ये प्रतिनिधित्व देकर उनके समूह की वास्तविक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। सक्रिय राजनीतिक भागीदारी ही दिव्यांगजनों की वास्तविक समस्याओं का निदान करते हुए उन्हें पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए एक अग्रसर कदम होगा।
8. सरकारी दफ्तरों, विद्यालयों व महाविद्यालयों में अधिक से अधिक दिव्यांग प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने चाहिए ताकि वास्तविक रूप से अपने समूह की समस्या को देख सके।
9. विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी योग्यता व आरक्षण के अनुसार प्राध्यापक जैसे स्थानों को तुरंत भरा जाना चाहिए।
10. न्यायालयों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में दिव्यांगजन सरकारी अधिवक्ता एवं न्यायधीशों के होने के साथ-साथ न्याय के स्तर पर भी उनके निलम्बित कार्यवाही होनी चाहिए। तुरंत न्यायलयों की स्थापना की जानी चाहिए।

इत्यादि उपाय करके ही दिव्यांगजनों की गरिमा को कानूनों के द्वारा सुनिश्चित करते हुए सबल बनाते हुए सामाजिक स्तर पर भी चेतना आते हुए परिवार समूह समुदाय जैसे विद्यालय, महाविद्यालय सामाजिक स्वरूप में उनके अधिकार शैक्षणिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अन्य अधिकारों जैसे नैतिक गरिमा को सुनिश्चित करते हुए उनकी स्वतंत्रता की मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है।

संदर्भ

1. इन-सर्विस एजुकेशन ओन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम-सर्व शिक्षा अभियान(एन इग्नू-एम् एच आर डी, जीओवी, प्रोजेक्ट) मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068_2008.
2. रॉजर जैफरी एंड निधि सिंघल(2008), "मेजरिंग डिसेबिलिटी इन इंडिया" इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 43, पेज 22-24
3. नेशनल फोकस ग्रुप ओन एजुकेशन ऑफ़ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स(2008), नेशनल कौंसिल ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग.
4. कूपर एलेन और गुल्लिबोउद जॉन(1999), "सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी: ए गाइड फॉर एवरीडे प्रक्टिस, मॉर्गन विल्लियम्स, रेडक्लिफ मेडिकल प्रेस
5. पॉल के लोंग्मोरे(2003), "व्हाई आई बर्नड माय बुक एंड अदर, टेम्पल यूनिवर्सिटी प्रेस, फिलाडेल्फिया 19122
6. यूनाईटीड नेशंस पब्लिकेश, डिसेबिलिटी अत ए ग्लांस: ए प्रोफाइल ऑफ़ 28 कन्ट्रीज एंड एरिया इन एशिया एंड द पसिफ़िक.
7. ओले पेट्टर अश्खेइम: पर्सनल असिस्टेंस सर्विस इन नोर्वे रिगा, 2008
8. WHO/Europe | Publications - Declaration of Alma-Ata, 1978
9. हैदर रिदोल्फ़ (2010), "कंस्ट्रकटिंगए डिसेबिलिटी आइडेंटिटी: द इन्फ्लुएंस ऑफ़ इम्पेरमेंट, सोशल फैक्टर्स एंड रेफलेक्टेड अप्प्रैजल्स
10. चैप्टर 2(इन एक्सप्लोरिंग द डिवाइड: एडिटेड बाई कोलिन बार्नेस एंड जेओफ मर्सर, लीड्स: द डिसेबिलिटी प्रेस, 1996 पेज 18-38)
11. यूं एन सी आर पी डी: शोर्टफोल्स इन पब्लिक पालिसी एंड प्रोग्राम डिलीवरी इन नोर्दर्न आयरलैंड रिलेटिव तो द आर्टिकल्स ऑफ़ द यूं एन सी आर पी डी फाइनल रिपोर्ट, 2014
12. डाइने प्राइस हन्र्ल्ड सोर्स, डिजीज वर्सेज डिसेबिलिटी: द मेडिकल हुमानितिज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टेबल
13. द डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन: एजुकेशन फॉर आल: मीनिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट कांफ्रेंस, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, 2000
14. इमर्जेंट डिसेबिलिटी एंड द लिमिट्स ऑफ़ इक्वलिटी: ए क्रिटिकल रीडिंग ऑफ़ द यूं एन कन्वेंशन ओन द राईट ऑफ़ पर्सन्स विध डिसेबिलिटी बेथ रिबेट 2004 https://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol14/iss2